न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया, आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. नया 212/2023 निर्णय दिनांक :– 12/05/2025

उनवान
सरदार सिंह बनाम कृष्ण कुमार वगैरह

सरदार सिंह पुत्र राममेहर जाति सिसोदिया राजपूत निवासी ए 52 नियर अम्बेडकर चौपाल शाहबाद दौलतपुर उतर पश्चिमी दिल्ली।

––वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र नेतराम
2. दडकी पत्नी नेतराम
3. बनाराम पुत्र माला
4. बोदुराम पुत्र मोलाराम
5. मस्तीराम पुत्र भोलाराम
6. रामजीलाल पुत्र नेतराम
7. विजयपालसिंह पुत्र फूलचन्द
8. शान्ति पुत्री माला
9. शारदा पुत्र नेतराम
10. सुरता पुत्र नेतराम
11. सरोज पुत्र नेतराम समस्त जाति कीर निवासी खटकड तह. गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनू राज0।
12. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा केड
13. तहसीलदार महोदय गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन
निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद वादी के संक्षेप में ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में खाता संख्या नया 242 व पुराना खाता 229 भूमि खसरा संख्या नम्बर 684 रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि पुख्ता अवस्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है, जिसमें वादी का हिस्सा 40/253 है। उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की शामलाती सयुंक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है। जिस पर वादी अपने हिस्से पर स्वामी व मालिक के रूप में काबिज काश्त है। वादी ने प्रतिवादीगण को विधिवत विभाजन व राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि पांच सात रोज तहसील में चल कर विभाजन करवा लेंगे लेकिन वादीगण ने दस पन्द्रह दिन पश्चात दिनांक 10.07.2022 को पुनः प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण विधिवत विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को बोले कि हमारे पास समय नहीं हैं हमें आपके बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है तथा आपसी सहमती से बंटवारा करवाने से साफ इन्कार हो गये। इसलिए दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।
उक्त विवादित आराजी में वर्णित खसरा नम्बर में वादी अपने हिस्से काबिज है। वादी वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में खाता संख्या नया 242 व पुराना खाता 229 भूमि खसरा संख्या नम्बर 684 रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि को विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग–अलग किये जाने के वादी व प्रतिवादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू द्वारा दिनांक 31.07.2024 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढ़ा गौडजी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1165 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किये गये। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर राम ने दिनांक 25.07.2022 को वकालतनामा पेश

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

किया। प्रतिवादी संख्या 3 को काफी अवसर देने के बाद भी जबाब पेश नहीं किया अतः इसकी जबाबदेही बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 1 से 12 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर राम मीणा उपस्थित आये। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन बाद वादीगण अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में खाता संख्या नया 242 व पुराना खाता 229 भूमि खसरा संख्या नम्बर 684 रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1165 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार वादी वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 12/05/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.

मुकदमा नं. नया 212 / 2023 निर्णय दिनांक :– 12/05/2025

उनवान

सरदार सिंह बनाम कृष्ण कुमार वगैरह

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर राम की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12/5/25 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर, झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है के वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में खाता संख्या नया 242 व पुराना खाता 229 भूमि खसरा संख्या नम्बर 684 रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1165 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा वादी वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/05/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा द्वारा मुर्तिब किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं